राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...1547/2017.....जिला.....श्रीगंगानगर.....

उनवान–मै0 राजस्थान ऑयल एण्ड जनरल मिल्स,बींझवायला बनाम 1.अपीलीय प्राधिकारी,राज्य कर,बीकानेर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
20.11.2017	एकलपीठ श्री नत्थूराम,सदस्य यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा पारित स्थगन नं. 33/2017–18 आदेश दिनांक 05.10.2017 जिसमें कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2011–12 जो वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2017 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 की धारा 25,55,61,75(8) के तहत् कायम की गयी मांग राशि रू0 3,22,670/–के संबंध में पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि में से रू0 69,020/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह अपील धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। सर्वे के समय उस सामान को भी शामिल किया है जो विक्रय योग्य नहीं है जैसे तेल की गाद, प्रयोग में नही आने योग्य सरसौं, तारामीरा आदि। इस माल पर करारोपण उचित नहीं है। अतः वसूली राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, वसूली मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया । उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष होने से स्थगन प्रार्थना पत्र में चाही गयी राशि तक स्थगन प्रदान किया जाता है। फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन, स्वीकार की जाकर चाही गयी वसूली इस आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि या अधीनस्थ न्यायालय में अपील के निर्णय जो भी पूर्व हो, इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि योग्य जमानत उनके समक्ष 15 दिवस में प्रस्तुत करें। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अपील का निस्तारण यथासंभव तीन माह में करें। (नत्थूराम)	